

**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
विकास आयुक्त कार्यालय
विध्याचल भवन, भोपाल**

क्रमांक 10489 एप्रिल / 6 / सा.अ. / 2012 /

भोपाल, दिनांक 12/11/2012

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला – (समस्त),
मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत – (समस्त),
मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत समस्त म.प्र।

विषय :- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में कराये गये कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण बाबत।

—: ००० :—

विषयान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन केन्द्र एवं राज्य द्वारा वित्तीय पोषित संरथा तथा शासकीय कार्यक्रमों हेतु सूचीबद्ध संरथाओं के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 21 से 30 नवम्बर, 2012 के मध्य प्रदेश के समस्त ग्रामों में संपन्न किया जाना है।

1. उक्त कार्य के लिये परिशिष्ट अनुरूप 01 से 05 तक सामुदायिक कार्यों के लिये एवं 06 से 12 तक हितग्राही मूलक कार्यों के लिये कुल 12 प्रपत्र योजनावार निर्मित किये गये हैं, (प्रपत्र की प्रति पत्र के सलग्न है)। प्रपत्रों के दो भाग में से एक भाग की प्रविष्टि जनपद पंचायत स्तर पर की जानी है तथा दूसरे भाग की प्रविष्टि भौतिक सत्यापनकर्ता द्वारा पूर्ण की जावेगी। योजनावार, कार्यवार तथा ग्रामवार जानकारी एक्सल शीट (Intra Webpage) में फोन्ट 14 में जनपदवार मनरेगा (पंचपरमेश्वर सहित), बी.आर.जी.एफ. (अपना घर सहित), आई.ए.पी. (संबंधित 10 जिले), आई.डब्ल्यू.एम.पी., मध्यान्ह भोजन, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास, समग्र स्वच्छता एवं सामाजिक न्याय की पेंशन इत्यादि की जानकारी संलग्न प्रपत्रों के अनुसार दिनांक 20 नवम्बर, 2012 तक अनिवार्य रूप से तैयार कराई जावे।
2. उपरोक्तानुसार निर्मित दो पुस्तिकार्यों अधिकृत भौतिक सत्यापनकर्ता को दिनांक 21.11.2012 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अधिकृत भौतिक सत्यापनकर्ता की सूची आपको पृथक से उपलब्ध कराई जावेगी।
3. सर्वसंबंधित विभाग गम्भीरता से अपनी योजना से संबंधित प्रपत्रों का भलिभाँति अध्ययन करते हुये सावधानी पूर्वक जानकारी का संकलन करें साथ ही भौतिक सत्यापनकर्ता को प्रपत्र पूर्ण करने हेतु समझाइश प्रदान करेंगे। इस हेतु एक दिवसीय जनपद पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 21.11.2012 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उक्त प्रशिक्षण के उपरांत भौतिक सत्यापनकर्ता को प्रपत्रों की पुस्तिका प्रदान की जावे।
4. भौतिक सत्यापनकर्ता यह सूचियां लेकर ग्राम के समस्त घर एवं निर्मित संरचनाओं के अवलोकनार्थ/सत्यापनार्थ दिनांक 21 से 25 नवम्बर, 2012 के मध्य भ्रमण का कार्य संपादित करेंगे।
5. दिनांक 25 से 30 नवम्बर, 2012 के मध्य विशेष सभाओं के आयोजन का कैलेण्डर निर्मित कर भौतिक सत्यापनकर्ता द्वारा संकलित जानकारियों के वाचन एवं ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त ग्राम सभाओं हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण यथासमय पूर्ण कर लेंगे।

6. ग्राम सभा के अभियंत उपरांत प्रपत्रों की अंतिम प्रविष्टि पूर्व निर्मित एक्सल शीट (Intra Webpage) पर भौतिक सत्यापनकर्ता समक्ष में जनपद पंचायत कार्यालय के कम्प्यूटर में दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 तक समर्त जानकारियां दर्ज करते हुये संचालक सामाजिक अंकेक्षण की ई-मेल आईडी dsa.nregs@gmail.com पर भेजी जावेगी।
7. भौतिक सत्यापनकर्ता को उनके संतोषप्रद कार्य के लिये कलेक्टर द्वारा कुशल श्रमिक हेतु निर्धारित दरों के अनुसार लगभग 7 से 10 कार्य दिवसों के लिये पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा। उक्त राशि की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं के प्रशासनिक मद से की जावेगी। जिला कलेक्टर विभिन्न योजनाओं एवं मनरेगा पंचायत एवं सामाजिक न्याय, टी.एस.सी., बी.आर.जी.एफ. आदि से राशि पूल करते हुये संबंधित कार्यकर्ता को कार्य की पूर्णता के उपरांत किया जावेगा।
8. समग्र कार्यवाही के समयबद्ध चरणबद्ध संचालन एवं मॉनीटरिंग के लिये जिला स्तरीय नोडल अधिकारी तथा समन्वय हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदेशित किया जावे। जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे तथा संबंधित विभाग के अधिकारी उक्त कार्य के लिये सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करेंगे।
9. मार्गदर्शन के लिये राज्य कार्यालय के प्रमुख अधिकारी या संचालक सामाजिक अंकेक्षण डॉ. अभय पाण्डेय से दूरभाष क्र. 0755-2559319 से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्न :— परिशिष्ट-1 से 12 तक।

(अरुणा शर्मा)

अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 10490 एनआर/6/सा.अं./2012/
प्रतिलिपि :—

भोपाल, दिनांक 12/11/2012

1. आयुक्त मनरेगा, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पंचायत राज्य संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक ग्रामीण रोजगार मध्यप्रदेश, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आरआरडीए, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. संभागीय आयुक्त, (समस्त)..... म.प्र की सूचनार्थ।
6. आयुक्त पंचायत एवं सामाजि न्याय, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. राज्य समन्वयक आई.डब्ल्यू.एम.पी., भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
8. तकनीकी संचालक, एनआईसी, विध्याचल भवन, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालक निदेशक म.प्र. जन अभियान परिषद, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
11. संचालक सामाजिक अंकेक्षण, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
11. संयुक्त आयुक्त (समन्वय) विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
12. संभागीय प्रबंधक (समस्त)..... म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश